न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2012 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 03.09.2012

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955

उपस्थितिः- 1- श्री मनोहर लाल दक, राजकीय अभिभाषक
2- श्री रमेश चन्द्र गर्ग, अधिवक्ता विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 02.07.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1510 रकबा 2 बीघा किस्म नाडी होकर बिलानाम मेवाड़ बन्दोबस्त में दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 2329 रकबा 0.35 है. बने हैं जो विपक्षी के नाम आवंटन से राजस्व रेकार्ड में आबादी नगर पालिका चित्तौड़गढ़ के नाम से अंकित है जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रावधानों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 2329 रकबा 0.35 है. को पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकार्ड में किस्म नाडी बिलानाम दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गर्ग, ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1510 रकबा 2 बीघा भूमि किस्म नाडी बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, एवं जलाशय की भूमि पर निजी खाातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1510 किस्म नाडी दर्ज थी। उक्त किस्म की भूमि को किसी भी व्यक्ति को कृषि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ आवन्टन नहीं किया जा सकता था। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1510 के नवीन बन्दोबस्त की आराजी संख्या 2329 रकबा 0.35 हैक्टेयर नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 15.06.93 से बिलानाम अंकित

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होकर राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम आबादी में अंकन है जो विधि-विपरीत होने से उक्त नामान्तरकरण निरस्त कराये जाने योग्य है।

अधिवक्ता विपक्षी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि यह आराजी पालिका के नाम आबादी में दर्ज हो चुकी है और आबादी भूमि होने से रेफरेन्स लागू नहीं होता है। उच्च न्यायालय का न्यायिक विनिश्चय अब्दुल रहमान बनाम सरकार इस प्रकरण की परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से लागू नहीं होता है। धारा 16 टिनेन्सी एक्ट की परिधि में भी यह प्रकरण नहीं आता है तथा प्रार्थी को रेफरेन्स नहीं करके टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार घोषणाा का दावा करना चाहिए था। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त योग्य है अतः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम यहां यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1510 रकबा 2 बीघा नाडी दर्ज होना बताया है जबकि तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि गत बन्दोबस्त में आराजी नम्बर 1510 नहीं बल्कि आराजी नम्बर 1570 रकबा 2 बीघा भूमि किस्म नाडी दर्ज थी।

इस भूमि की किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। आराजी नम्बर 1570 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि से नवीन आराजी नम्बर 2329 रकबा 0.35 हैक्टेयर बने हैं जो वर्तमान में विपक्षी के नाम आवंटन से राजस्व रेकार्ड में आबादी दर्ज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमियां आवंटन योग्य नहीं है और इनमे खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैं। अतः ग्राम चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1570 रकबा 2 बीघा किस्म नाडी जो बन्दोबस्त होने से हाल आराजी नम्बर 2329 रकबा 0.35 हैक्टेयर किस्म आबादी नगर पालिका चित्तौड़गढ़ दर्ज होने से को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश 02.08.2004 के निर्देशानुसार दिनांक 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 15.06.93 से निरस्त कराने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ़

न्यायालय जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official